न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी संख्या 04/2017

1– प्रेम सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत, निवासी गूलर, तहसील परबतसर, जिला नागौर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1– गंगा सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी गूलर, तहसील परबतसर जिला

नागौर राजस्थान।

2– सरपंच ग्राम पंचायत गूलर पंचायत समिति परबतसर।
3–धन सिंह पुत्र मूल सिंह
4–रूप सिंह पुत्र मूल सिंह
5–गणपत सिंह पुत्र मूल सिंह
6–गिरधारी सिंह पुत्र मूल सिंह
7–श्री मति सूरज कंवर बैवा मूल सिंह
8–शेर सिंह पुत्र रूप सिंह
9–पुखराज कंवर पत्नी गणपत सिंह
10–इचंरज कंवर पत्नी प्रेम सिंह
11–आचु कंवर पत्नी गिरधारी सिह
समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण गूलर, तहसील परबतसर, जिला नागौर राज0।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीतसिंह राठौड़ व अधिवक्ता, निगरानीकार।

2–श्री नेमीचन्द शर्मा अधिवक्ता, गैर निगरानीकार सं0 3 से 11 की ओर से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

3--श्री जगदीश सिंह राठौड़ व रणजीत बलारा अधिवक्तागण, गैर निगरानीकार 01 की ओर से

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज0 अधिनियम विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत गूलर बनाराम के द्वारा गासिंह पुत्र सवाई सिंह के पक्ष में निष्पादित आबादी पट्टा नम्बर 13, मिसल संख्या 90 तारीख दायरा 03/07/1987 को निरस्त करने बाबत।

निर्णय

दिनांक– 31.01.2019

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन इस प्रकार है:–

यह है कि निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार एवम गैर निगरानीकार नम्बर 1 व 03 से 11 स्व0 दौल सिंह के वारिसान है जिनका वंश निम्न प्रकार है:–

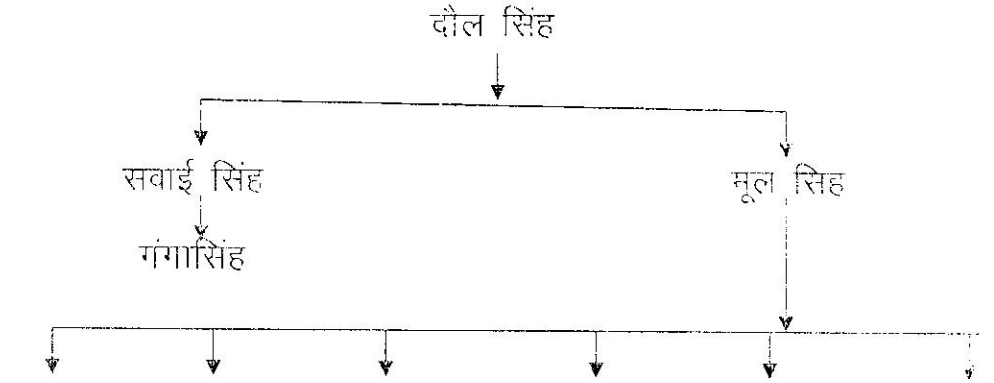

1. यह है कि स्व0 दौलसिंह के समय से ग्राम गूलर की आबादी में एक रहवासी मकान नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार स्व0 दौलसिंह के समय से काम में आ रहा है। जिस जायगा को नजरी नक्शा में मकि ए वी सी डी दर्शाया गया है। जिस रहवासी जायगा का 1/2 हिस्सा निगरानीकार के पिता व गैर निगरानीकार गंगासिंह के पिता ने आज से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

करीब 40--50 वर्ष पहले अलग अलग कर लिया नजरी नक्शे में मार्क दी ई एफ जी एच सी की 1/2 भूमि स्व0 मूलसिंह के बंट में रखी तथा शेष ए ई एफ जी एच डी की आधी भूमि स्व0 सवाई सिंह के बन्ट में रही इसी अनुसार आज दिन तक पक्षकारान अपने अपने हिस्सों पर काबिज है। जहां उनके रहवासी मकानात बने हुए है।

2. यह है कि निगरानी कार प्रेम सिंह व उसके भाई गैर निगरानीकार धनसिंह, रूपसिंह गणपतसिंह व गिरधारी सिंह का भी आज से करीब 25 वर्ष पहले पिता स्व. मूलसिंह व माता सूरज कंवर ने अपने पुत्रों को पैतृक रहवासी मकान का बन्टवारा कर दिया । उक्त बन्टवारा होने के पश्चात पक्षकारान ने अपने अपने हिस्सों में रहवासी मकान बना लिये। जहा जिन मकानों में विधुत कनेक्शन लिया हुआ है निगरानीकार प्रेम सिंह के हिस्से को नजरी नक्शें में मार्क 'क' व गैर निगरानीकार धनसिंह के हिस्से को मार्क 'ख' गणपतसिंह का हिस्सा 'ग' गिरधारी सिंह का हिस्सा 'घ' शेर सिंह का 'च'से दर्शाया हुआ है जिन हिस्सो में पक्षकरान मकान बनाकर आज दिन भी रहवास के रूप में काम में लेते आ रहे है।

3. --यह है क निगरानकार प्रेम सिंह व उसके अन्य भाई धनसिंह गणपतसिंह, रूपसिंह प्राईवेट कार्य कराने की वजह से बाहर रहते है मगर उनके रहवासी मकानात में उनका परिवार आज भी आबाद है इसलिए पक्षकारान के नौकरी के सिलसिले के कारण छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वादित आबादी में वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा शिविर लगाकर रहवासी मकान के पट्टे बनाना प्रारम्भ किया तब पक्षकारान् के मौके पर उपस्थित नहीं होने की वजह से गिरधारीसिंह ने अपनी पत्नी आचूकंवर, रूपसिंह ने अपने पुत्र शेर सिंह गणपतसिंह ने अपनी पत्नी पुखराज कंवर के नाम उक्त जायगा का पट्टा बनवा लिया जिनकी नकले पेश कर दी जायेगी।

4. यह हे कि इसी प्रकार निगरानीकार प्रेम सिंह के शिविर के समय अवकाश नही मिलने से रहवासी की जायगा का पट्टा अपनी पत्नी इचरजं कंवर के नाम पट्टा बनाने हेतु मिसल प्रस्तुत की तब निगरानीकार की पत्नी इचरंज कंवर को वर्तमान सरपंच ने यह अवगत करवाया की वादित जायगा का पट्टा पूर्व से बना हुआ है जिस पर निगरानीकार की पत्नी के सूचि.त करने पर दिनांक 15.07.2017 को अवकाश लेकर ग्राम आया तब निगरानीकार को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नजरी नक्शे मे मार्क क

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

56X31 फुट = 1736 वर्गफुट भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार गंगासिंह ने तत्कालिन सरपंच से मिलावट कर बिना कब्जे के ही 56X31 फुट भूमि का फर्जी पट्टा बना लिया जबकि निगरानीकार का उक्त जायगा में रहवासी मकान भी सन् 1996 से बना हुआ है जिस पट्टा की नकल दिनांक 19. 07.2017 को ग्राम पंचायत से प्राप्त करने पर जानकारी हुई। जबकि निगरानीकार के रहवासी जायगा में चारों तरफ दीवार से हदबन्दी भी कर रखी है जिस पर आज भी कब्जा व अधिकार निगरानीकार का है। बिजली क बिलों की छायाप्रति प्रस्तुत है। नजरी नक्शा में मार्क बी ई आई जे में दर्ज भूमि 56X31 फुट भूमि पर रहवासी मकान निगरानीकार व उसकी पत्नी इचरज कंवर का बना हुआ है मगर उक्त फर्जी पट्टे के अनुसार गैर निगरानीकार किसी अन्य को बैचाण हस्तान्तरण, गिरवीनामा कर सकता है जिस हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत है। नजरी नक्शा निगरानी का अहम भाग है। इसलिए उक्त पट्टे के निरस्त करने हेतु सुदृढ आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

1– यह है कि तत्कालीन सरपंच ने बिना मौका देखे ही एवम बिना किसी कार्यवाही किये ही बाला–बाला पट्टा जारी कर दिया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।

2--यह है कि पटटा जारी करने से पूर्व राज0 पंचायत एवम न्याय पंचायत के नियमों की पालना नही की गयी जो किया जाना आवश्यक थी जिससे भी यह पट्टा निरस्त होने योग्य हैं ।

3--यह है कि पट्टा जारी करने से पूर्व वादित जायगा में निगरानीकार का रहासी मकान बना हुआ था जो मकानात स्व0 दौलसिंह के समय से ही थे मगर उस बाबत कोई साक्ष्य नहीं लेकर पट्टा जारी कर दिया जो काबिले निरस्त है।

4– यह है कि उक्त पट्टा जारी करते वक्त उप सरपंच या अन्य किसी पंच के हस्ताक्षर भी नही करवाये जिससे भी यह पटा काबिले निरस्त है।

5--यह है कि तथाकथत पटटे में पड़ौस भी गलत दर्ज किये है जबकि दक्षिण दिशा में चिपता ही रास्ता है। उक्त रास्ता गूलर से डेगाना जाने वाला दक्षिण में कदीम से अवस्थित है। उक्त रास्ता से दक्षिण पूर्वी 1/2 हिस्सा पर कदीम से रहवास के रूप में कब्जा निगरानीकार पक्ष का रहा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

है जिसका उल्लेख तथाकथित पट्टा में नहीं किया है जिससे भी यह पटटा निरस्त होने योग्य हैं।

6– यह है कि तत्कालीन सरपंच महोदय ने पट्टा बनाने से पूर्व न तो कोई मिसल दायर की एवं न ही किसी प्रकार की मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का अवलोकन किया जिससे भी यह पटटा काबिले निरस्त है।

7– यह है कि उक्त निगरानी में स्व0 दौलसिंह के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया है मगर विवाद केवल गैर निगरानीकार गगांसिंह से ही है इसलिए बकाया से कोई सहायता नही चाही हैं। आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है।

8–यह है कि निगरानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की हैं।

9–यह है अन्य वजुवात वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

अतः निगरानीकार की निगरानी मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि गैर निगरानीकार गंगासिह के नाम बना पटटा नम्बर 13 मिसल संख्या 90/03.07.87 में से नजरी नक्शा में मार्क बी ई आई जे में दर्ज भूमि 56X31=1736 वर्गफुट भूमि के पट्टा में से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया हैं।

यह निगरानी वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 26.7.17 को पेश की, जो दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। तथा गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर निगरानीकार संख्या 01 की ओर अधिवक्ता श्री रणजीत वलारा ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। गैर निगरानीकार संख्या 3 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री नेगीचन्द शर्मा ने अपना वकालतनामा व पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

गैर निगरानीकार संख्या 3 से 11 की ओर से जवाब निम्न प्रकार हैः–

गैर निगरानीकार संख्या 3 से 11 की ओर से अपने जवाब में निगरानी के बिन्दु संख्या 01 से 04 तक तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार किये है। तथा निगरानी के आधार बिन्दु संख्या 01 से 09 को भी सही होने से स्वीकार किया हैं। जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है।

उभय अधिवक्ताओ व पक्षकारो के बीच में आपसी राजीनामा दिनांक 15.11.2018 को पेश किया गया जो शामील मिसल किया गया, जिसमें दोनो पक्षकार श्री प्रेमसिंह व गंगासिंह के हस्ताक्षर है ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजीनामा

1-- यह हे कि पक्षकारान में लोक अदालत की भावना से एवम गांवाई भाईयो, पंचो के बीच पारिवारीक समझोता/राजीनामा होने पर मुतनाजा पटटे की आराजी अब प्रेमसिंह की ही रहेगी इसमें गंगासिंह वगैराह का कोई दखल नही होगा माफिक राजीनामा उक्त पटटा संख्या 13 मिसल संख्या 90 दिनांक 3.7.1987 निरस्त फरमाया जावे तो गंगासिंह वगेराह को कोई एतराज नही होगा ।

2—यह है कि पक्षकारान उक्त राजीनामा से पूर्णतया सन्तुष्ट है तथा उपरोक्त माफिक उक्त प्रकरण में राजीनामा तस्दीक हेतु पेश कर रहे है। अत राजीनामा पेश कर पट्टा निरस्त करने का निवेदन किया है।

निगरानी कार के अधिवक्ता ने फार्म नं03 के सलग्न ग्राम पंचायत गूलर परबतसर का दिनांक 15.12.18 का प्रमाण पत्र पेश किया जो शामील मिसल किया गया । प्रमाण पत्र में भी निगरानीकार प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी गूलर तहसील परबतसर का मूल निवासी बताया है तथा प्रेमसिंह के नाम आबादी भूमि में बावरियो के मौहल्ले के पास स्वयं का मकान बताया है, जिसमें घर का बिजली कनैक्शन भी प्रेमसिंह के नाम है जिसके पड़ौस में दक्षिण में धनसिंह पश्चिम में गंगासिंह व पूर्व में आम रास्ता बताया है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकोर्ड एवं उभय पक्षकारो की बहस सुनी गयी। बहस व रिकोर्ड का का अवलोकन करने के पश्चात इस न्यायालय का यह मत है कि पट्टा संख्या 13 मिसल संख्या 90/3.7.87 को जारी किया गया है जो तत्कालिन सरपंच से मिलावट कर फर्जी पटटा बना लिया है जबकी निगरानीकार का उक्त जायगा में रहवासी मकान सन् 1996 से बना हुआ है। जबकि निगरानीकार के रहवासी जायगा में चारों तरफ दीवार से हदबन्दी भी कर रखी है जिस पर आज भी कब्जा व अधिकार निगरानीकार का है बिजली के बिलों की छायाप्रति भी सबूत के तौर पर निगरानीकार ने न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है। नजरी नक्शा मे मार्क बी ई आई जे में दर्ज भूमि 56X31 फुट पर रहवासी मकान निगरानीकार व उसकी पत्नी इचरंज कंवर का बना हुआ है। निगरानीकार व गैर निगरानीकार द्वारा एक समझोता पत्र भी पेश किया जिसमें भी दोनो पक्षकारो ने उक्त पट्टा संख्या 13 मिसल संख्या 90 दिनांक 3.7.1987 को निरस्त करने का आग्रह किया है तथा पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

धारक गंगासिंह ने भी राजीनामा में बताया है कि उसे पटटा निरस्त करने पर कोई एतराज नहीं होगा। निगरानीकार के अधिवक्ता द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत गूलर पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक एस पी एल–1 दिनांक 15.12.18 मे भी उक्त पटटा की भूमि प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह की बतायी गयी हैं।

:::: आ दे श ::::

उपर्युक्त तथ्यो को मध्य नजर रखते हुवे ग्राम पंचायत पंचायत गूलर पंचायत समिति परबतसर का प्रमाण पत्र व उभय पक्षकारो के राजीनामा के आधार पर गैर सायल गंगासिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत का कोई एतराज नही होने से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा संख्या 13 मिसल संख्या 90 दिनांक 03.07.1987 खारीज किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक. 31.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.01.19

अति. (बिहारी लाल मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)